# फर्द अहकाम

आयुष बनाम नहना

नाम न्यायालय

केस संख्या

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से |
|---|---|---|
| | | में सुरक्षा सेमीनरी की है। मूल वाद में प्रार्थनापत्र वाद विड्रो स्वीकार होते हुए खारिज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अंत प्रार्थना पत्र 7.9 सार हीन होने से खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 6.2.24 को जारी स्थगन आदेश सार हीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपजिला अधिकारी बसी जिला-जयपुर |